कार्यलय तहसीलदार (भू.अ.) जायल

क्रमांक/भू.अ./2020/2338

दिनांक 5-7-2021

प्रेषिति– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

जायल

Kwf
for
28/7/2021

विषय–प्रकरण धारा 251 (ए) की जांच करवाकर मौका रिर्पोट भेजने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके न्यायालय के प्रकरण 23/2021 अनवान नन्दलाल बनाम बनवारी की जांच भू.अ.निरिक्षक से करवाई गई,उक्त प्रकरण राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) से सम्बन्धित है। उक्त प्रकरण की जांच होकर भू.अ.निरिक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिर्पोट मय आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में जमा हो जाने से इस पत्र के संलग्न श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न मौका रिर्पोट मय दस्तावेज

तहसीलदार (भू.अ.) जायल

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट

धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

मैं परसराम मेहरा (नाम) भू-अभिलेख निरीक्षक - डूंगोली कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल के आदेश क्रमांक : कोर्ट / रीडर / 2021 / 358 दिनांक 25.06.2021 की पालना में क्षति की मौका रिपोर्ट तैयार करने के लिए आज दिनांक 03-07-21 समय 11 बजे आराजी खसरा 1543, 2249 / 1542 वाके ग्राम डुंगोली ---- पंचायत डुंगोली ---- पर मौतबिरान व्यक्तियों के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को भू.अ.नि. वृत्त डुंगोली से नोटिस दिनांक 30.6.2021 द्वारा जारी किये गये। जिसकी तामील निश्चित रूप से करवाई गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	उम्र	प्रार्थी / अप्रार्थी
1	नन्दलाल	s/o मोहनलाल	ब्राह्मण	42	प्रार्थी
2.	गुलाबी	पत्नी रामलाल	रेगर	62	अप्रार्थी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में क्षति का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। मौजा डुंगोली के खेत खसरा 2249/1542 रकबा 0.6070 हैक्टेयर किस्म का नन्दलाल पुत्र मोहनलाल, भंवरी पत्नी मोहनलाल, कौशल्या, चन्द्रकान्ता, राजकुमारी पुत्रियां मोहनलाल जाति ब्राह्मण सा. डुंगोली के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।
खसरा 1543 रकबा 0.6232 है. का P1 गुलाबी पुत्री रामलाल, बनवारीलाल पुत्र रामलाल, हेमराज पुत्र रामलाल, गीता, कमला D/O रामलाल जाति रेगर सा. डुंगोली के नाम रेकार्ड में दर्ज है।
खसरा 2249/1542 में प्रवेश हेतु खसरा 1543 से रास्ता चाहा गया है। जिसकी रिपोर्ट निम्न प्रकार है।

1. प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नहीं है मौजूद है।
2. प्रस्तावित रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है।
3. मौके पर कच्चा पक्का निर्माण नहीं है अप्रार्थी तरफ से रास्ता मौके पर पूर्व का दिया गया है।
4. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली क्षति खसरा 1543 रकबा 0.6232 है. में से 0.0238 है. क्षति जानिब / रास्ते की चौड़ाई 15 फीट व लम्बाई 171 फीट है।

DLC दर प्रति हैक्टेयर 132492 रु. से राशि = 3155 रु. की दुगुनी राशि 6310 रु. बनती है।
लाल स्याही से दर्शाया गया बिन्दु A to B प्रस्तावित रास्ता है। P.T.O.

नजरी नक्शा

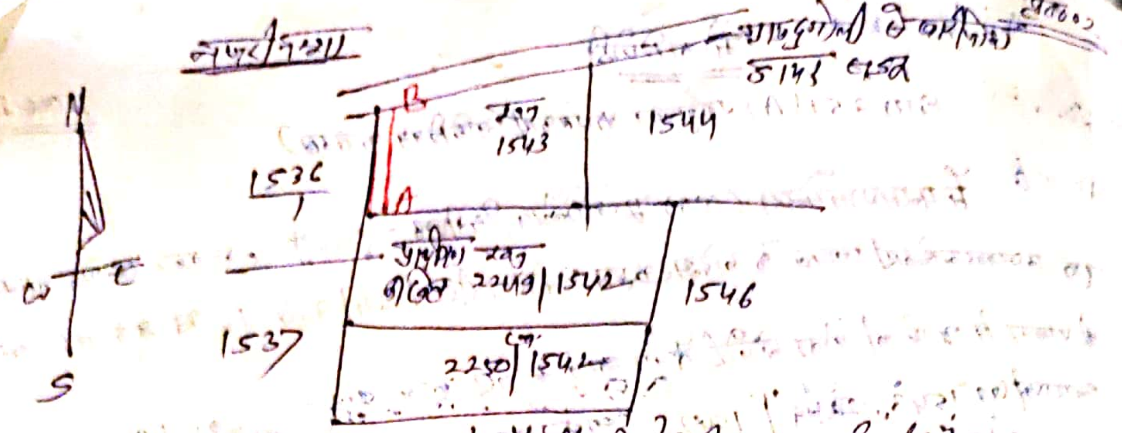

अतः मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरों को पढ़कर सुनाई गई। मौके पर उपस्थित पक्षकार पटवारी की रिपोर्ट से सहमत हुए एवं निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये गये।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	गुलाबी w/o रामलाल	रैगर			अप्रार्थी
2.	नन्दलाल s/o मोहनलाल	ब्राह्मण	नन्दलाल शर्मा		प्रार्थी

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़कर सहमत हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी

NIL

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई और तस्दीक करवाई गई।

क्र०	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/मौजा	हस्ताक्षर
1	अशोक s/o श्रीनिवास		25	ब्राह्मण	ग्राम-डुगोली	अशोक
2.	सोहनलाल s/o मालूराम		70	ब्राह्मण	—do—	सोहनलाल

हस्ताक्षर आज दिनांक 23-7-21 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

परसाराम
परसाराम मेहरा
निरीक्षक (भू.अ.) वृत्त
तहसील जायल (नागौर)

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल
जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, R.A.S.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 23/2021

प्रार्थी

1. नन्दलाल पुत्र मोहनलाल
जाति ब्राहमण निवासी दुगोली,
जायल, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. बनवारीलाल पुत्र रामलाल
2. हसराज पुत्र रामलाल
3. गुलाबी पत्नी रामलाल
4. गीता पुत्री रामलाल
5. बसन्ती पुत्री रामलाल
जातियान रेगर,
निवासीगण–दुगोली,
तहसील जायल,जिला नागौर
7. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार जायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री हरीसिंह मांगलिया एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 6 सरकारी पैरोकार।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

निर्णय **दिनांक :–** 11/08/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का एक सहखातेदारी का खेत खसरा नंबर 2249/1542 रकबा 0.6070 हैक्टेयर मौजा दुगोली तहसील जायल में हैं। प्रार्थी के इस सहखातेदारी के खेत से चिपता ही उत्तरी तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 का कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी का खेत खसरा नंबर 1543 रकबा 0.6232 हैक्टेयर वाके मौजा दुगोली में रहता चला आया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के उपरोक्त खेत के चिपता ही उत्तरी तरफ आम डामर सड़क दुगोली से ग्राम खारी जोधा कटाणी रास्ता डामर सड़क आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी नन्दलाल अपने सहखातेदार के खेत

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

खसरा नंबर 2249/1542 में कटाणी रास्ता डामर सड़क से फंटकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के खेत खसरा नंबर 1543 में इस खेत की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे चलकर अपने खेत की पश्चिमी कुट तक अर्सा रिवाजी रास्ता 15 फुट चौड़ाई का अपने गाड़ी छकड़े,मवेशी आदि लाता जाता रहा है एवं आवागमन करता रहा है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा कटाणी रास्ते से अपने खेत में आवागमन का सबसे नजदीक यही रास्ता है। उपरोक्त रास्ता को इस प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न रफ नजरी नक्शा में मार्क **ए से बी** दर्शित किया गया है। जो रफ नजरीनक्शा इस रास्ता का अभिन्न भाग है। करीब 10 दिन पूर्व अप्रार्थीगण को अपने खेत की पश्चिमी माठ के सहारे चलने वाले पुराने कदिमी रास्ते का इस वर्ष उपभोग एवं उपयोग करने से मना करते हुए बदयान्ति से उक्त मार्क ए से बी रास्ता को अवरूद्ध कर दिया गया है। आपसी बातचीत एवं सुलह नहीं होने से प्रार्थी को अप्रार्थीगणों के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ तथा अतः माननीय न्यायालय से निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण बनवारी,हसराज,गुलाबी,गीता,बसन्ती के कब्जा काश्त एवं खातेदारी के मौजा दुगोली में स्थित खेत खसरा नंबर 1543 रकबा 0.6232 हैक्टेयर में से इस खेत की पश्चिमी माठ के सहारे करीब 15 फुट चौड़ाई में माफिक रफ नजरीनक्शा मार्क ए से बी रास्ता घोषित फरमाते हुए रास्ता दिलावाया जावे एवं इसी अनुसार उक्त रास्ता को राजस्व रेकर्ड में तरमीम हेतु तहसीलदार जायल को आदेशित किया जावे जिसके लिये प्रस्तावित रास्ते के उपभोग में आने वाली भूमि के बदले नियमानुसार देय प्रतिकर राशि प्रार्थी अप्रार्थीगण को भुगतान करने हेतु सहमत है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर भू.अभि.निरिक्षक दुगोली को जारी गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 की ओर से श्री हरीसिंह मांगलिया अधिवक्ता ने ईकबाली जबाव पेश कर निवेदन किया कि मौजा दुगोली के खेत खसरा नंबर 1543 रकबा 0.6232 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार एवं हल्का भू.अभि.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता घोषित करने में कोई आपति नहीं है।

प्रकरण हाजा में भू.अभि.निरीक्षक दुगोली को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 358 25.06.2021 के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना में भू.अभिलेख निरीक्षक ने मार्फत तहसीलदार जायल के पत्र क्रमांक 2338 दिनांक 05.07.2021 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2249/1542 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता यही ही मौजुद है । प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नही है व आपसी सहमति से रास्ता मौके पर खुला व दिया गया हैं। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता खसरा नम्बर 1543 का रकबा 0.0238 हैक्टेयर बनता है । रास्ते की कुल चौड़ाई 15 फीट एवं लम्बाई 171 फीट है। जिसकी डी.एल.सी. दर प्रति हैक्अेयर 132492 रूपये से राशि 3155/ रू की दोगुनी राशि 6310/रू प्रस्तावित भूमि की बनती है।

चूंकि प्रकरण हाजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क का है जो कि सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है तथा ऐसे प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि अर्थात 90 दिवस में किया जाना होता है। प्रकरण हाजा में भू.अभि रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा संबंधित पक्षकारान् को सूचना भी हो चुकी है जिन्होने प्रस्तावित रास्ता कटाण घोषित किये जाने में सहमति जरिये ईकबालिया जबाब पेश की है। प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः वकुलाय की सहमति पर पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत की गई।

हमने उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ताओ की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 2249/1542 मौजा दुगोली में आवगमन के लिये कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा कटाणी मार्ग से प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम दूरी का होने पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को आवागमन के लिये अवरूद्व कर दिये जाने पर प्रार्थना पत्र 251 क पेश किया गया था। अब अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के मध्य आपसी सामजस्य से राजीनामा हो गया है तथा अप्रार्थीगण उक्त प्रस्तावित रास्ते से आवगमन के लिये मना नहीं कर रहे हैं तथा रास्ते को कटाण घोषित किये जाने में सहमत है अतः मौजा दुगोली के खेत खसरा नंबर 1543 रकबा 0.6232 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार एवं हल्का भू.अभि.निरिक्षक की मौका रिपोर्ट में दर्शाये मार्क ए से बी अनुसार रास्ता घोषित फरमावें।

इसी प्रकार दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार किया तथा प्रस्तावित रास्ता माफिक मौका रिपोर्ट भू.अभिलेख 15 फीट चौड़ाई एवं 171 फीट लंबाई में भूमि के बदले नियमानुसार देय प्रतिकर राशि भुगतान कराने पर रास्ता घोषित किये जाने पर किसी प्रकार की आपति नहीं होना कथन किया।

हमने उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से

कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.0238 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में काम में आ रही है जिसकी चौडाई 15 फुट है जो रास्ते के रूप में चौड़ा एवं 171 फीट लंबाई में है जो प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार वांछित एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता होने की पुष्टि भू. अभि.नि दुगोली की मौका फर्द रिपोर्ट से होती है। इसी प्रकार प्रस्तावित रास्ते को कटाण घोषित किये जाने हेतु अप्रार्थीगण ने जरिये ईकबालिया जबाब के " प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 क में चाही गई इस्तदुआ में चाहा है" स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा नंबर 2249/1542 में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये रास्ता का अभाव एवं प्रस्तावित रास्ता जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की सहखातेदारी का है तथा मुख्य कटाणी मार्ग ग्राम दुगोली से खारी जोधा से निकटतम दूरी का होना सम्पुष्ट होता है। तथा अप्रार्थीगण उक्त प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी (मौका रिपोर्ट भू.अभि.निरीक्षक) अनुसार नियमानुसार देय प्रतिकर राशि के बदले घोषित किये जाने हेतु सहमत भी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटी एक्ट 1955 माफिक मौका रिपोर्ट भू.अभि.निरीक्षक मार्क ए से बी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम दुगोली तहसील जायल के खसरा नं. 1543 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार डोटेट मार्क ए–बी के अनुसार 15 चौड़ाई तथा 171 फीट लंबाई में स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक भू.अभि./2021/2338 दिनांक 05.07.2021 हस्तगत प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगा।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम दुगोली तहसील जायल के खसरा नं. 1543 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) का नियमानुसार प्रार्थी पक्ष से भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11/08/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

11/08/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner